न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 219/2023
जीसीएमएस न0 2023/654

1. मोहन पिता भगवान डांगी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेड़ा।

प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– अधिवक्ता वादी – प्रार्थी स्वयं
2– पेरोकार सरकार – स्वयं उपस्थित

दिनांक 06.09.2024

:: निर्णय ::

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के भाई बालु पिता भगवान डांगी का नाम पुरानी जमाबंदी खाता संख्या 157 संवत् 2066 से 69 की जमाबंदी में नाम दर्ज था, लेकिन बाद में रोटेशन बदला तब खाता संख्या 150 संवत 2068–2071 की जमाबंदी में प्रार्थी के भाई बालु का नाम कम्प्यूटर की त्रुटी से दर्ज होने से रह गया हैं, जिसकी जानकारी प्रार्थी को पूर्व में नही थी तथा प्रार्थी का भाई बालु मानसिक तौर से कमजोर है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार हैः–

1. सेटलमेन्ट पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के खाता संख्या 157 में आ0न0 1, 291, 292, 346/556, 488, 494 किता 6 रकबा 6 बीधा 11 बिस्वा थी जो कि खातेदार श्री सीताराम मोहन बालू पोखर प्रताबी राजी गीता मन्जू पिता भगवाना 1/2 एंव वरदा पिता रूपा 1/2 डांगी के नाम दर्ज थी।
2. मिलान क्षेत्रफल अनुसार इसके नवीन नंबर इस प्रकार हैः–

क्र.स.	साबिक रेकॉर्ड		नवीन रेकॉर्ड	
	आराजी नंबर	रकबा बीघा	आराजी नंबर	रकबा हैक्टेयर
1	1	2–14	[illegible]	0.68
2	291	0–11	[illegible]59	0.14
3	292	0–06	36[illegible]	0.08
4	346/556	0–08	[illegible]	0.10
5	488	1–11	5[illegible]	0.39
6	494	1–01	606	0.26

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

3. नवीन भू–प्रबंध जमाबन्दी के खाता संख्या 162 में खातेदारों के नाम में सीताराम मोहन पोखर राजी गीता मन्जू पिता भगवाना 1/2 ही दर्ज था बालू एंव प्रतावी का नाम दर्ज नहीं आया।

4. उक्त खाते का न्यायालय आदेश बंटवारा होने से आराजी नंबर 1 व 418 श्री वरदा के नाम व आराजी नंबर 359,360,599,606 कुल किता 4 कुल रकबा 0.87 सीताराम मोहन पोखर राजी गीता मंजू पिता भगवाना के नाम दर्ज हुआ।

5. वर्तमान रेकॉर्ड जमाबंदी 2077–80 में भी खाता संख्या 149 में सीताराम, मोहन, पोखर, राजी, गीता, मंजू पिता भगवाना दर्ज है बालू व प्रतावी का नाम नहीं है। इसलिए ग्राम सांगरिया के खाता संख्या 149 में दर्ज खातेदार श्री सीताराम ,मोहन, पोखर, राजी, गीता, मंजू पिता भगवाना के साथ बालू व प्रतावी का नाम जोड़ा जाना उचित है।

3. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरुस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरुस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी के भाई का नाम जमाबंदी 2066–69 के खाता संख्या 157 के आराजी नंबर 1,291,292,346/556,488,494 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी के भाई का नाम दर्ज था लेकिन रोटेशन के बाद खाता संख्या 150 में प्रार्थी का नाम हट गया जिसे इंद्राज दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
मोहन पिता भगवाना डांगी बनाम राज सरकार
GCMS No- 2023/654
प्रकरण संख्या 219 / 2023

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम सांगरिया पटवार हल्का बड़ोलीमाधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा की आराजी नंबर 1,291,292,346 / 556,488,494 कुल किता 6 कुल रकबा 6 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी के भाई बालू पिता भगवान डांगी सा0देह सांगरीया एवं व प्रताबी पिता भगवाना डांगी सा0देह खातेदार का नाम जोड़े जाने का ओदश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner